न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—249/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/249)

1. श्रीमती तुलसीदेवी धर्मपत्नी श्री गणपतसिंहजी
2. भगवती देवी पुत्री गणपतसिंहजी
3. श्री राजूसिंह पुत्र गणपतसिंहजी
4. श्री सोहनसिंह पुत्र गणपतसिंहजी
5. श्री नारायणसिंह पुत्र गणपतसिंहजी
6. श्री भगवानसिंह पुत्र गणपतसिंहजी नाबालिग बवालयत श्रीमती तुलसीदेवी माता स्वयं समस्त जाति रावत निवासीयान फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री मोहनसिंह पुत्र श्री हीरासिंहजी
2. श्री विनोदसिंह पुत्र श्री हीरासिंहजी
3. श्रीमती जमनादेवी धर्मपत्नी श्री हीरासिंहजी
   समस्त जाति रावत निवासीयान सेंदडा रोड, ब्यावर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.10 .2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, ब्यावर

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री भगवान पाखरोट अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4

निर्णय

दिनांकः—16.09.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 70/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष धारा 251ए, व धारा 151 अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि गौजा ग्राम फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर आराजी खसरा नम्बर 555 व 557 में आने--जाने हेतु उससे लगते हुए अप्रार्थी संख्या 01लगायत 06 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

स्थित भूमि खसरा नम्बर 565 में से रास्ता विद्यमान चला आ रहा है। खसरा नम्बर 565 में 30 फिट का रास्ता दिलाये जाने तथा उसे राजस्व अभिलेख व राजस्व मानचित्र में तरमीम करवाये जाने के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 06 दिनांक 25.10.2021 को उपस्थित हुए तथा तहसीलदार, ब्यावर भी उपस्थित हुए। दिनांक 25.10.2021 को सभी पक्षकारान को सुनवाई कर उसी दिन दिनांक 25.10.2021 को उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 25.10.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 12.10.2021 को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा पेश किया जाना सिद्ध हैं तथा आगामी पेशी दिनांक 25. 10.2021 को ही जांच रिपोर्ट की जाकर तहसीलदार, ब्यावर से बिना अप्रार्थीगण को नोटिस तामील कराए व उन्हें सुने बिना ही रिपोर्ट तलब किए जाने का आदेश पारित कर दिया, जो कि गलत व गैरकानूनी होने से मूल आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.10.2021 द्वारा तामीली नोटिस देखने के लिए दिनांक 25.10.2021 नीयत की गई एवं उपस्थिति के लिए प्रशासन गांवों के संग गोविंदपुरा में उपस्थिति देने हेतु आदेशित किया गया। अपीलार्थीगण केम्प में उपस्थित होकर जवाब पेश करने व बचाव में अपने दस्तावेज पेश करने हेतु निवेदन किया, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की प्रार्थना को अनदेखा कर एवं जवाब एवं दस्तावेज पेश करने का समय चाहने बाबत अपनी प्रोसिडिग में ही अंकन नहीं किया एवं केवल मात्र कैम्प में निर्णित मुकदमों की संख्या बढ़ाने की गरज से दिनांक 25.10.2021 को ही बिना पत्रावली का अवलोकन किए व बिना अपीलार्थीगण का जवाब व बचाव के दस्तावेज लिए मूल आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर अपीलार्थीगण को न्याय प्राप्ति से ही वंचित कर भारी भूल की है, इतना ही नही अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर ही नहीं दिया एवं केवल मात्र प्रत्यर्थीगण को ही सुन प्रश्नगत आदेश पारित कर भारी भूल की है जबकि विधि इस बाबत सुस्पष्ट है कि दोनो पक्षों को ही समुचित जवाब व साक्ष्य पेश किए जाने का अवसर दिया जाना चाहिए अन्यथा एक पक्ष के साथ अन्यास संभव है ऐसी अवस्था में प्रश्नगत आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण निस्तारित करते समय प्रत्यर्थीगण – प्रत्यर्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज जमाबंदी खसरा संख्या 565 संवत 2071 से 2074 का अवलोकन ही नहीं किया व यदि अवलोकन कर लिया जाता तो अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में आ जाता कि राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थी संख्या 03 नाबालिग है एवं विधि इस बाबत स्पष्ट है कि जब तक नाबालिग का वली नियुक्त किए जाने बाबत आवेदन–पत्र पेश नहीं हो जाता व न्यायालय द्वारा वली नियुक्त नहीं कर दिया जाता किसी भी प्रकार का आदेश नाबालिग के विरूद्ध आदेश पारित नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किया जा सकता। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, ब्यावर ने मौका निरीक्षण किया ही नहीं व जो भू– अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा किया जाना बताया है। इस बाबत तहसीलदार ने प्रत्यर्थीगण को कोई सूचना नहीं दी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि तहसीलदार, ब्यावर द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया व हल्का पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट को ही शाश्वत सत्य मानकर प्रार्थीगण को 20 फिट चौडा व 64 फिट लंबा रास्ता दिए जाने का आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी–अप्रार्थीगण को जवाब पेश किए जाने का अवसर दे दिया जाता तो अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट तहसीलदार पर भी आपत्ति करते एवं वैकल्पिक रास्ता मौजूदा होने बाबत निवेदन करते जबकि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 555 व 557 में जाने के लिए वैकल्पित रास्ता मौजूदा है एवं प्रत्यर्थीगण अरसे दराज से अपनी भूमि खसरा संख्या 555 व 557 पर आवागमन कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने कथित भूमि खसरा संख्या 555 व 557 पर कभी काश्त ही नहीं की एवम काश्त के लिए प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/10/2021 निरस्त फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांटस ने अपने समर्थन में ए. आई. आर.(सुप्रीम कोर्ट) पेज 343 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि मौजा ग्राम फतेहपुरिया दोयम पटवार क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर में वर्णित आराजीयात स्थित चली आ रही है वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार वर्तमान रेस्पोडेंट चले आ रहे है तथा उपरोक्त आराजीयात मौके पर भी वर्तमान रेस्पोडेंट के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा राजस्व अभिलेखों में भी उपरोक्त आराजियात वर्तमान रेस्पोडेंट के नाम बतौर रेकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है तथा मौके पर वर्तमान रेस्पोडेंट का वैध एवं सुस्थापित रूप से कब्जा आधिपत्य उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वर्तमान रेस्पोडेंट की उपरोक्त आराजीयात से लगते हुए ही अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 की आराजी भूमि खसरा नम्बर 565 रकबा 0.1012 हैक्टर चाही 2 स्थित चली आ रही हैं उपरोक्त भूमि में अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 द्वारा भूखण्ड बना रखे है तथा उसमें आने जाने हेतु 30 फिट का पक्का रास्ता विद्यमान चला आ रहा है तथा उक्त रास्ता उक्त भूमि खसरा नम्बर 565 के पश्चात आगे उससे लगते हुए स्थित भूमि खसरा नम्बर 563, 564 में से होकर मुख्य आम रास्ता खसरा नम्बर 679 में जाकर मिल जाता है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 563 व 564 में भी पक्का रास्ता बना हुआ है। वर्तमान रेस्पोडेंट की भूमि खसरा नम्बर 555 व 557 में आने जाने हेतु उससे लगते हुए अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 की स्थित भूमि खसरा नम्बर 565 में से ही रास्ता विद्यमान चला आ रहा है। अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 565 में केवलमात्र आधे हिस्से में ही पक्का रास्ता वनवाया गया है तथा शेष संलग्न मानचित्र के अनुसार ए से बी भाग जो कि वर्तमान रेस्पोडेंट की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता विद्यमान चला आ रहा है वह कच्चे रास्ते के रूप में विद्यमान चला आ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रहा है किन्तु उक्त कच्चा एवं पक्का रास्ता राजस्व अभिलेखों एवं राजस्व मानचित्र चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण कदीमी से ही उपरोक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहें है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार ही प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खसरा नम्बर 555, 557 में मौके व रिकार्ड के अनुसार कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा अपने खेत में आने–जाने हेतु आस पडौसी के खेतो की मेड की पगडंडी का उपयोग करते है। मौका रिपोर्ट अनुसार नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 570 तक पहुँचने हेतु बीच में खसरा नम्बर 565, 564, 563 आते है, जिसमें सबसे नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 565 था जिससे उक्त नये रास्ते के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/अपीलांट भी दिनांक 25.10.2021 को उपस्थित थे तथा उनकी भी उक्त रास्ते कायम किये जाने बाबत् सहमति थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावें।

6. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 12.10.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 25.10.2021 नीयत की गई है तथा दिनांक 25.10.2021 को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण व तहसीलदार, ब्यावर उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.10.2021 को ही विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की जाकर उसी दिनांक को आदेश पारित किये है।अप्रार्थीगण/अपीलांटस का मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनको जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किये हैं तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 के अनुसार मौके पर न तो प्रार्थीगण उपस्थित हुए एव ना ही अप्रार्थीगण उपस्थित हुए यानि की बिना पक्षकारान की उपस्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जो विधि सम्मत नहीं है। धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में न्यायालय नियम 68–69 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बनायी जानी चाहिए। उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई, उनकी कोई आपत्ति पर किसी प्रकार पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं गई है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वें प्रकरण में अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त कर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर उनकी आपत्ति का मौके पर निस्तारण कर पुनः आदेश पारित करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्धान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 70/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2022 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता

है कि सभी पक्षकारान को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए, पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवायें तथा मौके पर ही आपत्ति का निस्तारण करते हुए धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के सुसगत प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में दिनांक 13.10.2022 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर